

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम।
 - 2- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
- नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक : 23 अगस्त, 2016
विषय : प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) योजनान्तर्गत फार्म-4ख जमा करने हेतु कर्मियों की नियुक्ति तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) योजनान्तर्गत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने के उद्देश्य से दिनांक 10.08.2016 को हिन्दी समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन में फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 09.09.2016 निर्धारित की गयी हैं। योजना के तीन घटकों में से किसी एक घटक में लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को फार्म-4ख भरकर नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में जमा किया जाना है। फार्म-4ख राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) की वेबसाइट www.sudaup.org से डाउनलोड किया जा सकता है।

2- लाभार्थियों द्वारा भरे गये फार्म-4ख को जमा करने हेतु नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक जोन में कम से कम एक कर्मियों की तैनाती की जानी है तथा नगर पालिका/नगर पंचायत में 1 लाख तक की आबादी पर न्यूनतम एक कर्मियों तथा 1 लाख से अधिक आबादी पर न्यूनतम दो कर्मियों की तैनाती की जानी है। उक्त कर्मियों द्वारा फार्म-4ख जमा किया जाना है तथा रजिस्टर में उसकी तिथिवार प्रविष्टि की जानी है और जमा किये गये फार्म पर रजिस्टर में दर्ज क्रमांक का अंकन भी किया जाना है।

3- योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु नागर स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल बैठक कराकर उन्हें योजना के बारे में व्यापक जानकारी दी जाये तथा समाचार पत्रों के माध्यम से, लाउडस्पीकर के द्वारा, स्थानीय न्यूज चैनल के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे समस्त पात्र लाभान्वित हो सकें।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में फार्म-4ख जमा करने हेतु तैनात किये गये कर्मियों का नाम, पद तथा मोबाइल नं० का विवरण निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ एवं निदेशक, सूडा, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथ ही साथ योजना के प्रचार-प्रसार हेतु समुचित कार्यवाही की जाय।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय
श्रीप्रकाश सिंह
सचिव

संख्या-2578(1)/नौ-5-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ०प्र०।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उ०प्र०।
- 3- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।